

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक

विषय- विभागान्तर्गत संचालित 39 (उनचालीस) राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में डिप्लोमा परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु प्रति संस्थान 200 (दो सौ) अर्थात् कुल 7800 (सात हजार आठ सौ) ड्राईंग बोर्ड के क्रय हेतु प्रति ड्राईंग बोर्ड रू. 1100=00 (एक हजार एक सौ रुपये) मात्र की दर से कुल रू. 85,80,000=00 (पचासी लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना के पत्रांक-128, दिनांक 07.01.2020 के आलोक में विभागान्तर्गत संचालित 39 (उनचालीस) राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों यथा नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-13 /रा. पो. पटना-7, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, गया, छपरा, गोपालगंज, कटिहार, लखीसराय, वैशाली, अस्थावां, डिहरी-ऑन-सोन, शिवहर, मधुबनी, मोतिहारी, राघोपुर (सुपौल), जमुई, बांका, कैमुर, मधेपुरा, टेकारी, शेखपुरा, मुंगेर, सीतामढ़ी, किशनगंज, बक्सर, पश्चिम चम्पारण (बेतिया), नवादा, सीवान, अररिया, का.ना.सिंह रा. पो. समस्तीपुर, ब. खान इ. ऑफ पो., सीतामढ़ी, ब्र.कि.ना.पो., गोपालगंज/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक पटना एवं मुजफ्फरपुर में डिप्लोमा परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु प्रति संस्थान 200 (दो सौ) अर्थात् कुल 7800 (सात हजार आठ सौ) के क्रय हेतु प्रति ड्राईंग बोर्ड रू. 1100=00 (एक हजार एक सौ रुपये) मात्र की दर से कुल रू. 85,80,000=00 (पचासी लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित संस्थानों को संलग्न विवरणी के अनुसार विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

- उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104-बहुशिल्प, मांग संख्या-43, उपशीर्ष- 0109-पोलिटेकनिक (निश्चय)" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसका विपत्र कोड 43-4202021040109 है।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सामग्रियों के क्रय का पर्यवेक्षण, सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना द्वारा किया जायेगा।
- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।
- वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) - 71/2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) - 71/2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) - 71/2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) - 71/2019-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्वद, पटना को उनके पत्रांक-128, दिनांक 07.01.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) - 71/2019-

931

/पटना, दिनांक-

5/3/2020

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त निदेशक (त)/संयुक्त निदेशक (एम)/बजट सहायक/आई. टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में ड्राईंग बोर्ड के क्रय हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी-

क्रम	संस्थान का नाम	ड्राईंग बोर्ड की संख्या	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	नवीन रा. पो., पटना-13	200	220,000.00
2	रा. पो., गुलजारबाग, पटना	200	220,000.00
3	रा. म. पा. फुलवारीशरीफ, पटना	200	220,000.00
4	रा. पो., बरौनी	200	220,000.00
5	रा. पो., भागलपुर	200	220,000.00
6	रा. पो., दरभंगा	200	220,000.00
7	रा. पो., गया	200	220,000.00
8	रा. पो., पूर्णिया	200	220,000.00
9	रा. पो., सहरसा	200	220,000.00
10	रा. पो., छपरा	200	220,000.00
11	रा. पो., गोपालगंज	200	220,000.00
12	रा. पो., मुजफ्फरपुर	200	220,000.00
13	रा. पो., कटिहार	200	220,000.00
14	रा. पो., मुजफ्फरपुर	200	220,000.00
15	रा. पो., मधुबनी	200	220,000.00
16	रा. पो., वैशाली	200	220,000.00
17	रा. पो., अस्थावां	200	220,000.00
18	रा. पो., डिहरी-ऑन-सोन	200	220,000.00
19	रा. पो., लखीसराय	200	220,000.00
20	रा. पो., शिवहर	200	220,000.00
21	ब. खान इ. ऑफ पा. सीतामढ़ी	200	220,000.00
22	रा. पो., कैमुर	200	220,000.00
23	रा. पो., जमुई	200	220,000.00
24	रा. पो., बांका	200	220,000.00
25	रा. पो., मुंगेर	200	220,000.00
26	रा. पो., सुपौल	200	220,000.00
27	रा. पो., मधेपुरा	200	220,000.00
28	रा. पो., मोतिहारी	200	220,000.00
29	रा. पो., टेकारी (गया)	200	220,000.00
31	ब्र. ना. सिं. रा. पो., गोपालगंज	200	220,000.00
31	रा. पो., शेखपुरा	200	220,000.00
32	का. ना. सिंह रा. पो., समस्तीपुर	200	220,000.00
33	रा. पो., किशनगंज	200	220,000.00
34	रा. पो., बक्सर	200	220,000.00
35	रा. पो., पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	200	220,000.00
36	रा. पो., सीतामढ़ी	200	220,000.00
37	रा. पो., नवादा	200	220,000.00
38	रा. पो., अररिया	200	220,000.00
39	रा. पो., सिवान	200	220,000.00
	कुल	7800	8,580,000.00



उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना